ऑफशोर एरिया एटोमिक मिनिरल्स ऑपरेटिंग राइट नियम 2025

[स्रोत: बिज़िनेस स्टैण्डर्ड]

भारत सरकार ने [अपतटीय क्षेत्र खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 2002] के तहत **ऑफशोर एरिया एटोमिक मिनिरल्स ऑपरेटिंग राइट नियम, 2025** अधिसूचित किये हैं, जो समुद्री क्षेत्रों में [यूरेनियम] **और** [थोरियम] जैसे एटोमिक मिनिरल्स के अन्वेषण तथा खनन के लिये सख्त नियम लागू करते हैं।

- **नियम 2025 के मुख्य तथ्य: केवल सरकारी इकाइयों और केंद्र सरकार द्वारा नामित निजी कंपनियों** को ही समुद्री क्षेत्र में एटोमिक मिनिरल्स के अन्वेषण या खनन की अनुमति होगी।
  - **विदेशी इकाइयों या ठेकेदारों को कोई भी गतिविधि** करने से पहले **भारत सरकार की पूर्व स्वीकृति** लेनी होगी।
  - लाइसेंस केवल **केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों (CPSE)** या केंद्र द्वारा नामित एजेंसियों को भारत के [विशेष आर्थिक क्षेत्र (EEZ)] में जारी किये जाएंगे।
  - ये नियम तब ही लागू होंगे जब समुद्री क्षेत्र में **यूरेनियम या थोरियम की सांद्रता एक निर्धारित न्यूनतम 'थ्रेशोल्ड वैल्यू' से अधिक हो**। यदि थ्रेशोल्ड से कम हो, तो **ऑफशोर एरिया ऑपरेटिंग राइट नियम, 2024** लागू होंगे।
  - अन्वेषण के बाद **पर्यावरणीय और समुद्री बहाली अनिवार्य** है तथा प्रभावित समुद्री तल की बहाली **छह माह के भीतर** करनी होगी।

- **परमाणु खनिज:** यूरेनियम और थोरियम जैसे परमाणु खनिजों का उपयोग [परमाणु ऊर्जा उत्पादन] में किया जाता है। भारत में **यूरेनियम सीमित मात्रा में** उपलब्ध है, लेकिन **थोरियम प्रचुर मात्रा में** पाया जाता है, जो मुख्यतः तटीय राज्यों की **मोनाज़ाइट रेत** में पाया जाता है। **केरल और ओडिशा** में समृद्ध समुद्री रेत भंडार हैं, जिनमें मोनाज़ाइट में **8–10% थोरियम** पाया जाता है।
  - **जादूगोड़ा, झारखंड** देश की पहली खदान है जहाँ **व्यावसायिक स्तर पर यूरेनियम अयस्क का उत्पादन किया गया।**

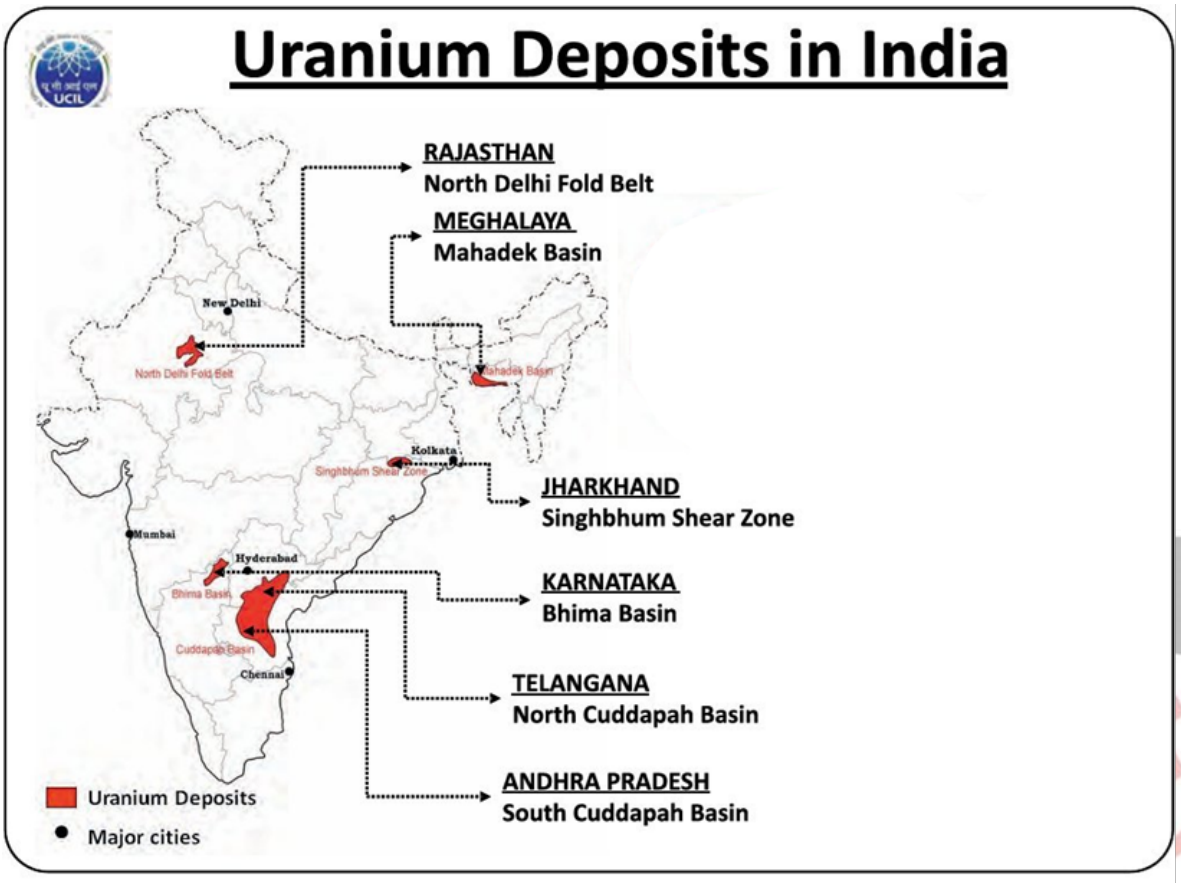

Uranium Deposits in India

और पढ़ें: [खनिज अन्वेषण क्षेत्र का सुदृढ़ीकरण]

PDF Refernece URL: https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/offshore-areas-atomic-minerals-operating-right-rules-2025